डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6–7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी मावली
बईजलास : मनुसख राम डामोर, आर.ए.एस.

<u>उनवान</u>

1. श्री भूरा पिता नाथु जी जाति लोहार, आयु वयस्क, निवासी भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।

...........वादी

बनाम

1. श्री देवीलाल पिता नाथु जी जाति लोहार, आयु 60 वर्ष, निवासी मानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. श्री भेरूलाल पिता देवीलाल जी जाति लोहार, आयु 35 वर्ष, निवासी भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. श्री प्रकाश पिता देवीलाल जी जाति लोहार, आयु 32 वर्ष, निवासी भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. श्री रमेश पिता देवीलाल जी जाति लोहार, आयु 30 वर्ष, निवासी भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. श्री राकेश पिता देवीलाल जी जाति लोहार, आयु 28 वर्ष, निवासी भानसोल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)।

.............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न0 : 294/13 (वाद)</u>

<u>जीसीएमएस नम्बर : 2013/00137</u>

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मनसुख राम डामोर, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि ग्राम भानसोल पटवार हल्का भानसोल की नकल जमाबंदी संवत 2069–72 के खाता संख्या 196 पर दर्ज आराजी नम्बर 575, 577 किता 2 रकबा 13 बीघा 15 बिस्वा भूमि तथा खाता संख्या 324 पर दर्ज आराजी नम्बर 2704/576 किता 1 रकबा 5 बीघा भूमि में न तो प्रवेश करे, न वादी को बेदखल करे तथा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये कोई कदम नही उठावें। वादी को शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देंवे। उक्त कृत्य प्रतिवादी किसी अन्य से भी नही करावें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख **<u>29.07.2024</u>** को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mansukh Ram Damor
Date: 2024.07.31 18:56:46 IST
Reason: SelfAttested

(मनसुख राम डामोर) R.A.S.
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
मावली जिला उदयपुर